N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0109 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 03/05/2025 17:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 12/04/2025 Date To (दिनांक तक): 01/05/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 15:04 बजे Time To (समय तक): 11:45 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/05/2025 Time (समय): 16:40 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 03/05/2025 17:42:20 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 430 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b)Address(पता): SAGDA CHORAHA, SALUMBER

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): GANPAT SINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): NIRBHAY SINGH SARANGDEVOT

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1982 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PRATHAVI SINGH JI KA KHEDA, PANCHAYAT LUNDA, TAHSIL KANOD THANA, KANOD, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PRATHAVI SINGH JI KA KHEDA, PANCHAYAT LUNDA, TAHSIL KANOD THANA, KANOD, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KISHAN LAL SHRAMA		पिता:BHANWAR LAL SHRAMA	1. HAAL CONSTABLE 130, POLICE STATION LASADIYA, सलूम्बर,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	7000 हजार रुपये रिश्वती	7,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	राशि मुल्जिम से बरामद की गई।	7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयजी

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरी पार्टनरशीप मे लाइसेन्सी शराब की दुकान लसाडिया थाना क्षेत्र के टटाकिया पचांयत के सागडा चौराहे पर है मेरे दुकान शुरू करने के बाद से ही लसाडिया थानदार साहब हर्षराज सिंह द्वारा बार-बार परेशान करने पर मे दिनांक 09/04/25 को लसाडिया थानदार साहब से जाकर मिला तो उन्होने बोला कि आप को दुकान चलानी है तो हमारा जो सिस्टम है वो करना पडेगा। नही तो दुकान ढगं से नही चलाने दुंगा और बार-बार कैस बनाउगां। मेने कहा साहब क्या सिस्टम है सर बताओ तो सही उन्होने कहा कि मेरे थाने का कांस्टेबल किशन आप से आकर मिल लेगा फिर कांस्टेबल किशन 23/4/2025 को मेरी शराब की दुकान पर आया और मेरे फोन किया कि मैं आप की शराब की दुकान पर मासिक बंधी लेने आया हूं। इस पर मेने उसे कहा कि मै अभी बाहर हू वहा आकर मे आप को कांल करता हूं मै ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को कोई रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी उक्त कर्मचारियों से कोई रंजिश नही है ना ही कोई उधार के रूपये पैसो का कोई लेन-देन बकाया है। रिपोर्ट कर कार्यवाही करावें। दिनांक 25/4/25 प्रार्थी गणपत सिंह S/o निर्भय सिंह निवासी-पृथ्वी सिहजी का खेडा(लुणदा) M. [redacted] कार्यवाही पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तोड़गढ़ महोदय, निवेदन है कि दिनांक 12.04.2025 समय 03.04 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री गणपत सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर बताया कि एसीबी हैल्प लाईन से आपके नम्बर मिले हैं, आपकी शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराये जिस पर परिवादी श्री गणपत सिंह ने बताया कि मैने आज दिनांक 12.04.2025 को एसीबी मुख्यालय जयपुर के वाट्सअप नम्बर [redacted] पर कॉल कर बताया कि पुलिस थाना लसाडिया के कॉस्टेबल श्री किशन लाल शर्मा द्वारा मेरे व मेरे पार्टनर के शराब के ठेके की एसएचओं के नाम से मथंली के रूप 7,000 रूपये रिश्वत के मांग कर परेशान किया जा रहा है। तो उन्होने मुझे आपके नम्बर दिये। परिवादी द्वारा बतायी गई उक्त वार्ता से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने मे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही कराने बाबत् परिवादी को अवगत कराया एवं रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने हेतु कहा तो परिवादी ने कहा कि मै अभी किसी कार्य में व्यस्त हूं तथा कुछ दिनों बाद आपसे सम्पर्क कर लुंगा तथा अपने गांव श्री पृथ्वी सिंह जी का खेड़ा में मिल जाउगा। आप आपके विभाग के किसी कर्मचारी को मेरे पास भेज देना मै रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करा दुगां। ट्रेप कार्यवाही हेतु आईन्दा परिवादी से सम्पर्क होने पर चौकी हाजा से किसी कार्मिक को भेज कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इसके बाद दिनांक 28.04.2025 समय 08.30 ए0एम0 पर दर्ज रहे कि दिनांक 15.04.2025 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह को परिवादी श्री गणपत सिंह के मोबाईल नम्बर देकर उससे सम्पर्क कर नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने के निर्देश दिये गये। श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को यह भी हिदायत दी गई कि कार्यालय का डीवीआर साथ ले जावे तथा परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी को डीवीआर को चालु व बन्द करने की समझाईश कर उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त कर परिवादी को डीवीआर सिपुर्द कर नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करावें। इसके बाद दिनांक 15.04.2025 को समय 01.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि मैने आपके निर्देशानुसार समय करीब 12.57 पीएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह से वार्ता की तो उसने रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने के लिए मुझे अपने गांव पृथ्वी सिंह जी का खेडा (लुणदा) बुलाया है तथा बताया कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि की मांग करने हेतु मुझे बुलाया जायेगा तो कॉल कर आपको बता दुंगा। इसके बाद दिनांक 24.04.2025 को समय 03.39 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को उसके मोबाईल नम्बर [redacted] र वार्ता करने पर परिवादी ने बताया कि मुझे श्री किशन लाल शर्मा कानि0 ने कॉल कर कल दिनांक 25.04.2025 को वार्ता करने के लिए ठेके पर बुलाया है। अतः आप कल दिनांक 25.04.2025 को आपके कार्यालय के कार्मिक को मेरे पास भिजवा देवे। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को जरिये मोबाईल निर्देशित किया कि कल दिनांक

25.04.2025 को कार्यालय का डीवीआर मय् खाली मैमोरी कार्ड लेकर परिवादी के गांव पृथ्वी सिंह जी का खेडा (लूणदा) पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर उसको डीवीआर चालु व बन्द करने की समझाईश कर उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त कर नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करावे। इसके बाद दिनांक 25.04.2025 को समय करीब 12.53 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री जितेन्द्र हैड कानि0 को वाट्सएप कॉल करने पर उसने बताया कि मैने आपके निर्देशानुसार कार्यालय डीवीआर मय् खाली मैमोरी कार्ड लेकर समय करीब 08.30 ए.एम. पर ब्यूरों कार्यालय चित्तौडगढ से रवाना होकर परिवादी के गांव पृथ्वी सिंह जी का खेडा (लूणदा) समय करीब 11.00 ए.एम पर पहुंचा। परिवादी को डीवीआर चालु व बन्द करने की समझाईश की तथा उससे प्रार्थना पत्र. प्राप्त किया तथा रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु एवं श्री किशन लाल शर्मा का लोकेशन जानने हेतु परिवादी द्वारा समय 11.29 एएम पर वार्ता की तो आरोपी ने बाद में वार्ता करने को कहा। इसके बाद श्री किशन लाल शर्मा ने 11.50 ए0एम0 पर परिवादी को कॉल कर ठेके पर आने के बारे में बताया तथा समय 12.02 पी0एम0 पर किशन लाल का वापस कॉल आया जिस पर परिवादी को डीवीआर सिपुर्द कर रिश्वत राशि की मांग सत्यापन कराने हेतु समय 12.05 पी0एम0 पर रवाना किया। परिवादी ने बाद सत्यापन समय करीब 12.36 पी0एम0 पर डीवीआर को बन्द हालत में मुझे सुपुर्द कर बताया कि मेरी आरोपी श्री किशन लाल शर्मा से रिश्वत राशि के मांग के सत्यापन के बारे में वार्ता हो चुकी है जिसको मैने आपके सरकारी टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है । इस पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को निर्देशित किया कि परिवादी को रूखसत देकर डीवीआर व प्रार्थना पत्र लेकर आये तथा सुरक्षित कार्यालय में रखे। जिस पर आज दिनांक 28.04.2025 को श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री गणपत सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.04.2025 का डीवीआर मय् मैमोरी कार्ड के प्रस्तुत किया। डीवीआर को चालु कर सुना गया तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया गया। आरोपी श्री किशन लाल शर्मा ने परिवादी व उसके पार्टनर के शराब के ठेके की मंथली के रूप में 7,000 रूपये की मांग की है। कानि0 किशन लाल द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया है किन्तु उक्त वार्ता बहुत ही धीमी आवाज में होने से आईन्दा पुनः रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जावेगा। डीवीआर को पुनः सुरक्षित कार्यालय में रखवाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी द्वारा पूर्व में बताये गये तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि "मेरी पार्टनरशीप मे लाइसेन्सी शराब की दुकान लसाडिया थाना क्षेत्र के टटाकिया पचांयत के सागडा चौराहे पर है मेरे दुकान शुरू करने के बाद से ही लसाडिया थानेदार साहब हर्षराज सिंह द्वारा बार-बार परेशान करने पर मे दिनांक 09/04/25 को लसाडिया थानेदार साहब से जाकर मिला तो उन्होने बोला कि आप को दुकान चलानी है तो हमारा जो सिस्टम है वो करना पडेगा। नही तो दुकान ढगं से नही चलाने दुंगा और बार-बार केस बनाउगां। मेने कहा साहब क्या सिस्टम है सर बताओ तो सही उन्होने कहा कि मेरे थाने का कांस्टेबल किशन आप से आकर मिल लेगा फिर कांस्टेबल किशन 23/4/2025 को मेरी शराब की दुकान पर आया और मेरे फोन किया कि मैं आप की शराब की दुकान पर मासिक बंधी लेने आया हूं । इस पर मेने उसे कहा कि मै अभी बाहर हू वहां आकर मैं आप को कॉल करता हूं। मै ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को कोई रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी उक्त कर्मचारियों से कोई रंजिश नही है ना ही कोई उधार के रूपये पैसो का कोई लेन-देन बकाया है। रिपोर्ट कर कार्यवाही करावें।" प्रार्थना पत्र को भी सुरक्षित कार्यालय में रखा गया। श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने बताया कि परिवादी दिनांक 30.04.2025 को ब्यूरो चौकी चित्तोड़गढ़ पर उपस्थित हो जायेगा। परिवादी के उपस्थित आने पर स्वतन्त्र गवाहान को तलब किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद दिनांक 30.04.2025 समय 02.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री गणपत सिंह उपस्थित कार्यालय आया जिससे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 25.04.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर में रेकार्ड की गई थी। उक्त डिवीआर को परिवादी के समक्ष ऑन कर सुनाया गया तो परिवादी ने उक्त रेकार्ड वार्ता के तथ्यों की पुष्टि करना बताया तथा परिवादी श्री गणपत सिंह द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को दिये गये प्रार्थना पत्र को दिखाया व पढ़ाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि की तथा प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना तथा उस पर स्वयं द्वारा हस्ताक्षर करने की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि लसाड़िया में सागड़ा चौराया स्थित शराब की दुकान को मैं ही सम्भालता हूँ लेकिन यह मेरे पार्टनर कनक चौधरी के लड़के देवेन्द्र चौधरी के नाम पर लाईसेन्स शुदा है तथा एसीबी की कार्यवाही के लिये मेरे पार्टनरों की भी सहमति है। आईन्दा मैं उसे पेश कर दुंगा। परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 02.30 पी0एम0 पर इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहन की आवश्यकता होने से अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चित्तौडगढ के नाम तहरीर कार्यालय पत्र क्रमांक 879 दिनांक 30.04.2025 जारी कर कानि. चालक श्री शेर सिंह को कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग चित्तौडगढ हेतु रवाना किया गया। इसके बाद समय 03.00 पी0एम0 पर कानि चालक शेर सिंह हमराह दो स्वतंत्र गवाह को लेकर उपस्थित आया जिस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को मन् अतिरक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री किशन लाल ओड़ पुत्र श्री भंवर लाल ओड़ जाति ओड़ उम्र 41 वर्ष निवासी ओछड़ी पुलिस थाना सदर चित्तौडगढ तहसील व जिला चित्तौडगढ हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत चित्तौडगढ

होना बताया व दूसरे गवाह ने अपना नाम श्री सुरेश चौधरी पुत्र श्री भैरूराम चौधरी जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम हिम्मतपुरा पोस्ट मुडिया रामसर पुलिस थाना बगरू तहसील व जिला जयपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उप खण्ड गंगरार जिला चित्तौडगढ होना बताया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर ट्रेप कार्यवाही के संबंध में दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई तो दोनो गवाहन ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी जाने पर परिवादी श्री परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहानो का आपस में परिचय कराया गया तथा उक्त कार्यवाही से अवगत कराते हुये परिवादी द्वारा दिनांक 25.04.2025 को प्रस्तुत स्वयं का हस्त लिखित प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहन को पढ. कर सुनाया गया व दिखाया गया। दोनो गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दोनो स्वतंत्र गवाहानों को कार्यालय के डिवीआर में दिनांक 25.04.2025 को रिकार्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चालू कर मुख्य अंशों को सुनाया गया तो दोनों गवाहानों ने रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि होना बताया। इसके बाद समय 04.00 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दोनो स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी की उपस्थित में दिनांक 25.04.2025 को समय 12.05 पी.एम. पर परिवादी श्री गणपत सिंह व संदिग्ध श्री किशन लाल शर्मा, कानि0 पुलिस थाना लसाड़िया जिला सलूम्बर के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में सुरक्षित है उक्त डिवीआर को कार्यालय मे कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि से तैयार करवाई जाकर परिवादी श्री गणपत सिंह एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 05.20 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु एक राजकीय वाहन मय चालक की आवश्यकता होने से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौडगढ के नाम तहरीर कार्यालय पत्र क्रमांक 884 दिनांक 30.04.2025 जारी कर कानि. श्री सन्दीप कुमार को जिला परिषद चित्तौडगढ के लिये रवाना किया गया। इसके बाद समय 05.25 पी0एम0 पर श्री सन्दीप कुमार कानि0 जिला परिषद चित्तौडगढ़ पर तहरीर देकर हाजिर आया तथा बताया कि कल दिनांक 01.05.2025 को समय 6.30 पर जिला परिषद चित्तौडगढ़ का चालक मय राजकीय वाहन के उपस्थित हो जायेगा। इसके बाद समय 05.37 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री किशन लाल शर्मा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाट्सअप कॉल कर मांग सत्यापन हेतु वार्ता करवाई गई तथा उक्त वार्ता को श्री प्रवीण सिंह कानि0 के मोबाईल रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में लगे मैमोरी कार्ड केडीएम कम्पनी 32 जीबी बरंग काला में ऑडियों-विडियों रिकार्डिंग की गई। उक्त वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार करवाई जावेगी। इसके बाद समय 07.25 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री किशन लाल शर्मा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाट्सअप कॉल कर मांग सत्यापन हेतु वार्ता करवाई गई तथा उक्त वार्ता को श्री प्रवीण सिंह कानि0 के मोबाईल रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में लगे मैमोरी कार्ड केडीएम कम्पनी 32 जीबी बरंग काला में ऑडियों-विडियों रिकार्डिंग की गई। उक्त वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार करवाई जावेगी। इसके बाद समय 07.36 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री किशन लाल शर्मा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाट्सअप कॉल कर मांग सत्यापन हेतु वार्ता करवाई गई तथा उक्त वार्ता को श्री प्रवीण सिंह कानि0 के मोबाईल रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में लगे मैमोरी कार्ड केडीएम कम्पनी 32 जीबी बरंग काला में ऑडियों-विडियों रिकार्डिंग की गई। उक्त वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार करवाई जावेगी। उक्त तीनों सत्यापन वार्ता से कानि0 श्री किशन लाल द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि होती है। इसके बाद समय 08.00 पीएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह को रिश्वत राशि लाने व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु कहने पर परिवादी ने बताया कि मैं कल दिनांक 01.05.2025 को रिश्वत राशि की व्यवस्था करके मेरे गॉव श्री पृथ्वी सिंह का खेडा अपने घर पर मिल जाउंगा आप टीम लेकर वहीं आ जाना जिस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर एवं दिनांक 01.05.2025 को अपने गांव श्री पृथ्वी सिंह का खेड़ा में अपने घर पर मिलने के लिये पाबन्द कर रूखसत दी गई एवं स्वतन्त्र गवाहान को भी हिदायत मुनासिब कर रूखसत दी गई। स्टाफ के सदस्यों को भी दिनांक 01.05.2025 को 6.30 एएम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने के लिये निर्देश दिये गये। इसके बाद दिनांक 01.05.2025 समय 06.30 ए0एम0 पर तलविदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री किशन लाल ओड़ व श्री सुरेश चौधरी व स्टाफ के सदस्य कार्यालय में उपस्थित आये है तथा जिला परिषद चित्तौडगढ़ से प्राईवेट चालक श्री दुर्गाशंकर राव निवासी कीर खेड़ा चित्तौडगढ़ मय अनुबन्धित राजकीय वाहन स्विफ्ट डिजायर नम्बर आरजे 09 टीए 2885 उपस्थित आया। जिन्हें कार्यालय में ही उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। इसके बाद समय 7.00 एएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री किशन लाल ओड़ व श्री सुरेश चौधरी व स्टाफ के सदस्य श्री जितेन्द्र सिह हेड कानि व श्री प्रवीण सिंह कानि. को जिला परिषद चित्तौडगढ़ के अनुबन्धित राजकीय वाहन से बजानिब परिवादी के गॉव पृथ्वी सिंह जी का खेड़ा (लुणदा) के लिये रवाना कर उनके साथ-साथ मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य श्री दलपत सिह सउनि, श्री ओमप्रकाश सउनि, श्री जितेन्द्र कुमार कानि., श्री नरेन्द्र कुमार कानि., श्री सन्दीप कुमार कानि. को हमराह ले मय सरकारी डिवीआर मय मैमोरी कार्ड के मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी लेखन सामग्री मय सरकारी वाहन मय चालक श्री शेर सिंह से मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर सरकारी

वाहन ट्वेरा के डैश बोर्ड में रखवाई जाकर ट्रेप कार्यवाही हेतु जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय श्री शेर सिह के परिवादी के गॉव पृथ्वी सिंह जी का खेड़ा (लुणदा) के लिये रवाना हुये। इसके बाद समय 8.35 एएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य श्री दलपत सिह सउनि, श्री ओमप्रकाश सउनि, श्री जितेन्द्र कुमार कानि., श्री नरेन्द्र कुमार कानि., श्री सन्दीप कुमार कानि. के परिवादी के गॉव पृथ्वी सिंह जी का खेड़ा (लुणदा) पहुंचा जहां पर दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री किशन लाल ओड़ व श्री सुरेश चौधरी व स्टाफ के सदस्य श्री जितेन्द्र सिह हेड कानि व श्री प्रवीण सिंह कानि. भी साथ-2 पहुंचे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय के परिवादी के घर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री गणपत सिंह उपस्थित मिला। परिवादी के घर पर ही दृष्टान्त कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद समय 8.40 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री गणपत सिंह पुत्र श्री निर्भय सिंह व्यवसाय वाईन शॉप निवासी पृथ्वी सिंह जी का खेड़ा ग्राम पंचायत लुणदा तहसील कानोड़ पुलिस थाना कानोड़ जिला उदयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री गणपत सिंह ने अपनी व्यवस्थानुसार अपने पास से निकालकर पॉच-पॉच सौ रूपये के 14 नोट कुल सात हजार रूपये पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	नोटो का विवरण	नोटो के नम्बर
01.	एक नोट 500/- रूपये का	5BW 292414
02.	एक नोट 500/- रूपये का	2CW 167115
03.	एक नोट 500/- रूपये का	0KF 513222
04.	एक नोट 500/- रूपये का	7NQ 773058
05.	एक नोट 500/- रूपये का	5CS 350680
06.	एक नोट 500/- रूपये का	4DK 070149
07.	एक नोट 500/- रूपये का	6FW 119131
08.	एक नोट 500/- रूपये का	2BP 346017
09.	एक नोट 500/- रूपये का	5VD 228950
10.	एक नोट 500/- रूपये का	1LV 569055
11.	एक नोट 500/- रूपये का	4BS 386674
12.	एक नोट 500/- रूपये का	7UP 667725
13.	एक नोट 500/- रूपये का	0RL 429448
14.	एक नोट 500/- रूपये का	1UF 500880

उक्त समस्त नोटो पर श्री शेर सिंह ड्राईवर कानि0 को मालखाने से प्राप्त शुदा फिनोफ्थलीन पाउडर सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखी हुई को निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर गवाह श्री सुरेश चौधरी द्वारा परिवादी की तलाशी लिवाई गई तो शर्ट की सामने की उपरी बाई जेब में कोई वस्तु नहीं होने पर उक्त नोटों को परिवादी श्री गणपत सिंह की पहनी हुई शर्ट की सामने की उपरी बायी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। श्री नरेन्द्र कुमार कानि से एक साफ प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्री शेर सिंह चालक कानि0 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य मे अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों मे ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री शेर सिंह चालक कानि0 से बाहर फिंकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को साथ लेकर बाद फारिक कार्यवाही के एसीबी चौकी चित्तौडगढ के लिए रवाना होने के निर्देश दिये। इसके उपरान्त उपरोक्त डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाकर डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट कराया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद गोपनीय निर्धारित ईशारा (अपने दोनो हाथो को स्वयं के सिर पर घुमाना) करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा श्री नरेन्द्र कुमार कानि से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर व नये डिस्पोजल गिलास पेकेट ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी

हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री गणपत सिंह को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री शेर सिंह चालक कानि0 के दोनो हाथों को साफ-पानी व साबुन ने धुलवाये गये उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब की जाकर हाजरीन को पढ़कर सुनाई, पढ-सुन-समझ कर सही होना मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 9.17 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी के पार्टनर श्री देवेन्द्र चौधरी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल वार्ता की गई तो श्री देवेन्द्र चौधरी ने परिवादी श्री गणपत सिंह द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही की जानकारी होना तथा ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में अपनी सहमति होना बताया एवं अपने शराब के ठेके के सम्बन्ध में समस्त कार्य करने के लिये मौखिक रूप से परिवादी श्री गणपत सिंह को अधिकृत करना बताया। उक्त वार्तालाप को श्री प्रवीण सिंह कानि0 के मोबाईल में रिकार्ड किया। इसके बाद समय 10.00 एएम पर श्री शेर सिंह कानि0 को फिनोलफ्लीन पाउडर की शीशी के ब्यूरो कार्यालय चित्तोड़गढ़ पर जाने के लिये परिवादी के गॉव पृथ्वी सिंह जी का खेड़ा (लुणदा) में ही छोड़ कर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर परिवादी के हमराह दोनों स्वतन्त्र गवाहन श्री किशन लाल ओड़ व श्री सुरेश चौधरी व स्टाफ के सदस्य श्री जितेन्द्र सिह हेड कानि व श्री प्रवीण सिंह कानि. को परिवादी की स्वयं की कार से सागड़ा चौराहा के लिये रवाना कर उनके पिछे-2 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गॉव पृथ्वी सिंह जी का खेड़ा (लुणदा) से मय ट्रेप पार्टी सदस्य श्री दलपत सिह सउनि, श्री ओमप्रकाश सउनि, श्री जितेन्द्र कुमार कानि., श्री नरेन्द्र कुमार कानि., श्री सन्दीप कुमार कानि. जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा व जिला परिषद के वाहन से गॉव पृथ्वी सिंह जी का खेड़ा (लुणदा) से सागड़ा चौराहा के लिये रवाना हुआ। इसके बाद समय 10.40 एएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के सागड़ा चौराहा से कुछ पहले पहुंचा। जहां पर परिवादी भी उपस्थित मिला। सरकारी वाहनों को साईड में खड़ा करवा कर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर उसकी स्वयं की कार से उसकी वाईन शॉप के लिये रवाना किया। परिवादी के पिछे-2 दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री किशन लाल ओड़ व श्री सुरेश चौधरी व स्टाफ के सदस्य श्री जितेन्द्र सिह हेड कानि, श्री जितेन्द्र कुमार कानि., श्री नरेन्द्र कुमार कानि., श्री सन्दीप कुमार कानि. व श्री प्रवीण सिंह कानि. को रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शेष जाप्ते के सागड़ा चौराहा स्थित परिवादी की वाईन शॉप के आस-पास अपनी-2 उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय 11.45 एएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह पुत्र श्री निर्भय सिंह व्यवसाय वाईन शॉप निवासी पृथ्वी सिंह जी का खेड़ा ग्राम पंचायत लुणदा तहसील कानोड़ पुलिस थाना कानोड़ जिला उदयपुर ने वाईन शॉप सागड़ा चौराहा पर आरोपी श्री किशन लाल शर्मा को 7,000 रूपये रिश्वत राशि देने का पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर दोनो हाथ फैरते हुए किया जिसे जितेन्द्र सिंह एचसी व प्रवीण सिंह कानि. ने देखकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के अपने अपने स्थान से चलते हुए परिवादी के पास पहुचें तो परिवादी ने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे हेड कानि. जितेन्द्र सिह को दिया जिसने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने बताया कि अभी-अभी मेरे पास श्री किशन लाल शर्मा कानि. पुलिस थाना लसाड़िया से मेरे वाईन शॉप पर आया और मांग अनुसार रिश्वत राशि 7,000 रूपयें मांगने पर मैने मेरी पहने हुई शर्ट की उपरी बाई जेब से निकालकर दिये जिसे कानि0 किशन लाल ने अपने दाहिने हाथ से लेकर दोनो हाथो से मौके पर गिनने के बाद उक्त रिश्वत राशि 7,000 रूपये उनके पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखने के बाद तुरन्त ही निकल गया और शराब की 02 बोतल बाद में लेने की कहते हुए अपनी मोटरसाईकिल लेकर चला गया मैने रोकने का प्रयास किया किन्तु कोई जल्दी कार्य होने की कहते हुए निकल गया जो अभी पुलिस थाना लसाड़िया गया है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता के अपने-अपने वाहनो से समय करीब 11.50 ए.एम. पर परिवादी द्वारा बताये अनुसार पुलिस थाना लसाड़िया के लिए रवाना हो पुलिस थाना लसाड़िया करीब 12.02 पी.एम. पर पहुंच जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि किशन लाल शर्मा कानि. अपने सरकारी आवास/क्वार्टर पर होने की सूचना मिलने पर सरकारी आवास पर करीब 12.05 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के श्री किशन लाल शर्मा कानि. के आवास/ क्वार्टर पर गये तो कानि. श्री किशन लाल शर्मा चारपाई पर बैठा हुआ मिला जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व टीम के सदस्यों का परिचय देते हुए आने का प्रयोजन से अवगत कराया गया तथा उपस्थित परिवादी श्री गणपत सिंह ने हमरायान के समक्ष कहा कि यही श्री किशन लाल शर्मा कानि. है जिन्होने मेरे से सागड़ा चौराहा पर मेरी पार्टनर शिप में वाईन शॉप है जिसकी मंथली/बंधी के रूप में मेरे से दिनांक 25.04.2025 को रूबरू वार्ता एवं दिनांक 30.04.2025 को मोबाईल वार्ता में रिश्वत राशि मांगने पर मांग अनुसार आज मैने अभी कुछ समय पूर्व मेरी वाईन शॉप पर 7,000 रूपयें की रिश्वत राशि दी जिसे ग्रहण कर वहां से निकल कर थाने पर आये है जो यही व्यक्ति है। जिसका नाम श्री किशन लाल शर्मा कानि. है। परिवादी द्वारा बताये गये कथनो के क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध श्री किशन लाल शर्मा कानि. को अपना परिचय पूछा तो उसने

अपना नाम किशन लाल शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 23 वर्ष निवासी पारसोली पुलिस थाना बड़ी सादडी जिला चित्तौडगढ हाल कानि. नम्बर 130 पुलिस थाना लसाड़िया जिला सलूम्बर होना बताया जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री गणपत सिंह की तरफ ईशारा करते हुए पूछा गया कि क्या तुम इसे जानते हो तो आरोपी श्री किशन लाल शर्मा ने बताया कि इनका नाम गणपत सिंह जी है जिनका वाईन शॉप सागड़ा चौराहे पर है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री किशन लाल से पूछा गया कि आपने उक्त रिश्वत राशि 7,000 रूपयें परिवादी श्री गणपत सिंह से किस बात के लिये है और किसके कहने पर लिये है। जिस पर श्री किशन लाल कानि. ने बताया कि मैने उक्त 7,000 रूपयें मैने मेरे लिये नहीं लिये है मुझे थानाधिकारी श्री हर्षराज सिंह जी के कहने पर ही मैने इनसे मांगे थे और इनके कहने पर ही मैने आज इनकी वाईन शॉप पर जाकर मांग अनुसार/तय राशि के अनुसार 7,000 रूपयें मैने प्राप्त कर मैने पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे है जो अभी मेरी जेब मे पड़े हुए है। जो मैने मेरे लिए नहीं लिए है। उक्त कथन के संबंध में परिवादी श्री गणपत सिंह से पूछा तो गणपत सिंह ने आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. के उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि यह वाईन शॉप जो सागड़ा चौराहा पर स्थित है जिसका लाईसेन्स श्री देवेन्द्र चौधरी पुत्र श्री कनक चौधरी हाल निवासी उदयपुर के नाम मे है किन्तु वाईन शॉप से संबंधित लेन-देन, ऑर्डर ईत्यादी, बैंकिग संबंधी एवं अन्य समस्त कार्य मेरे द्वारा ही सम्पादित किये जाते है। जिसके लिए मुझे श्री देवेन्द्र चौधरी अनुज्ञाधारी द्वारा मौखिक रूप से पार्टनर के रूप में (साईलेन्ट पार्टनर) अधिकृत किया हुआ है। वाईन शॉप पर वैसे सैल्समैन को लगा रखा है उक्त वाईन शॉप ग्राम पंचायत में कही पर भी लगाई जा सकती है। उक्त वाईन शॉप की बंधी/मंथली के रूप में मेरे से दिनांक 25.04.2025 एवं दिनांक 30.04.2025 को श्री किशन लाल शर्मा कानि. द्वारा थानाधिकारी का नाम लेकर बार-बार रिश्वत राशि की मांग कर रहा था। जो 7,000 रूपयें लेना एवं साथ में 02 सिग्रेचर की बोतल लिया जाना तय हुआ था। आज मैने उक्त मांग अनुसार 7,000 रूपयें एवं सिग्रेचर शराब की 02 बोतल अन्य वाईन शॉप से लेकर देने आया था किन्तु श्री किशन लाल कानि. द्वारा मांग अनुसार 7,000 रूपयें ग्रहण करते ही निकलने की कहकर चल दिये और शराब की बोतल के लिए कहा कि बाद में ले लुंगा और चला गया तब मैनें ट्रेप पार्टी को सिर पर दोनो हाथ फैरकर ईशारा किया तब तक कानि. श्री किशन लाल शर्मा अपनी मोटरसाईकिल से चला गया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के उक्त कानि. का पीछा करते हुए पुलिस थाना लसाड़िया पहुंच जानकारी प्राप्त की तो पुलिस थाना लसाड़िया के सरकारी क्वार्टर में होने की सूचना प्राप्त हुई जिस पर सरकारी क्वार्टर पर पहुंचे तो कमरे में चारपाई पर बैठा हुआ मिला जिसे मेरे द्वारा पहचान करने पर ब्यूरो टीम द्वारा दबोचा गया उक्त कथनो के संबंध में आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. से पूछा तो बताया कि साहब मेरे से गलती हो गई है मैने उक्त 7,000 रूपयें मेरे लिए नहीं लिये है मैने थानेदार जी के कहने पर लेने गया था यदि आपको विश्वास नहीं हो तो मैं मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से थानाधिकारी श्री हर्षराज सिंह के मोबाईल नम्बर पर [redacted] पर कॉल कर कन्फर्म करा सकता हूँ। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री किशन लाल शर्मा को श्री हर्षराज सिंह शक्तावत थानाधिकारी पुलिस थाना लसाड़िया को जरिये वाट्सअप कॉल कर वार्ता की गई उक्त वार्ता को ब्यूरो के डीवीआर में रिकॉर्ड की गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता में श्री किशन लाल कानि. थानाधिकारी श्री हर्षराज सिंह को कहता है कि लेकर आ गया हूं थानाधिकारी कहता है कि ठीक है जिस पर श्री किशन लाल कानि. कहता है कि सात लेकर आया हूं तब थानाधिकारी कहता है कि ठीक है उक्त वार्ता को सुरक्षित डीवीआर में रिकॉर्ड की गई एवं उपरोक्त परिवादी एवं आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. द्वारा परिवादी श्री गणपत सिंह से वाईन शॉप की बंधी/मंथली के रूप में रिश्वत राशि 7,000 रूपयें मांग कर ग्रहण करने की रिश्वत राशि के बारे में प्रमाणिकता होने पर आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु सरकारी वाहन मे से श्री नरेन्द्र कुमार कानि से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में से दो साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में श्री नरेन्द्र कुमार कानि. से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 मे चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. के बांयें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH-1 व LH-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. की जामा तलाशी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जामा तलाशी गवाह श्री किशन लाल ओड़ सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लिवाई गई तो पहने हुए पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब से 500-500रूपयें के कुछ नोट मिले जिसके संबंध में आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. ने स्वयं ने कहा कि यही वो राशि है जो मैने श्री गणपत सिंह से वाईन शॉप पर ली थी।

उक्त रिश्वत राशि आरोपी की निशादेही से बरामद हुई उपरोक्त राशि 500-500 के कुछ नोट मिले जिनको स्वतन्त्र गवाहन से गिनवाया जाकर फर्द पेशकशी नोट नम्बर से मिलान किया गया तो 500-500 के 14 नोट कुल 7,000/- रूपये राशि हुबहु हुये जो निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	नोटो का विवरण	नोटो के नम्बर
01.	एक नोट 500/- रूपये का	5BW 292414
02.	एक नोट 500/- रूपये का	2CW 167115
03.	एक नोट 500/- रूपये का	0KF 513222
04.	एक नोट 500/- रूपये का	7NQ 773058
05.	एक नोट 500/- रूपये का	5CS 350680
06.	एक नोट 500/- रूपये का	4DK 070149
07.	एक नोट 500/- रूपये का	6FW 119131
08.	एक नोट 500/- रूपये का	2BP 346017
09.	एक नोट 500/- रूपये का	5VD 228950
10.	एक नोट 500/- रूपये का	1LV 569055
11.	एक नोट 500/- रूपये का	4BS 386674
12.	एक नोट 500/- रूपये का	7UP 667725
13.	एक नोट 500/- रूपये का	0RL 429448
14.	एक नोट 500/- रूपये का	1UF 500880

तत्पश्चात बरामद शुदा उक्त नोटों पर एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट बंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया तथा आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. के पहनी हुई पेन्ट बरंग काली जिसमें रिश्वत राशि 7,000 रूपयें उक्त पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब से बरामद होने से उक्त पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतराई जाकर दूसरा लॉवर पहनाया गया तथा तीसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में श्री नरेन्द्र कुमार कानि. से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. की उतराई हुई पेन्ट बरंग काली के पीछे की दाहिनी जेब को उल्टा कर उक्त रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क P-1 व P-2 मे चिन्हित करा मिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त पेन्ट बरंग काली की जेब को सुखाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा सफेद कपड़े की थैली में सिल्डचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जप्त की गई तथा उक्त तीनो प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास उपयोगशुदा को जला कर नष्ट किया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण/कथनो एवं दौराने कार्यवाही वाट्सअप कॉल पर थानाधिकारी श्री हर्षराज सिंह शक्तावत से हुई रिकॉर्ड वार्ता के क्रम में थानाधिकारी को पूछताछ हेतु हैड कानि. श्री जितेन्द्र सिंह, कानि. श्री नरेन्द्र कुमार एवं कानि. जितेन्द्र को भेजा गया जिस पर थानाधिकारी श्री हर्षराज सिंह शक्तावत को लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया गया जिसे उक्त ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराते हुए अपना परिचय देते हुए उससे अपना परिचय पूछा तो थानाधिकारी ने अपना नाम श्री हर्षराज सिंह शक्तावत पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी गेहवाड़ा पोस्ट पुनाली पुलिस थाना दोवड़ा जिला डूंगरपुर हाल उप निरीक्षक पुलिस (थानाधिकारी) पुलिस थाना लसाड़िया जिला सलूम्बर होना बताया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थानाधिकारी की जामा तलाशी स्वंतत्र गवाहान से लिवाई गई तो पेन्ट की दाहिनी जेब में कुल 18,100 रूपयें मिले जिसके संबंध में थानाधिकारी श्री हर्षराज सिंह शक्तावत से पूछा गया तो उक्त राशि निजी खर्च के लिए घर से लाना बताया गया जो कि उक्त राशि के संबंध में सन्तोषजनक जवाब दिये जाने से उक्त राशि 18,100 रूपयें निजी होना मानते हुए लौटाई गई तथा थानाधिकारी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि श्री किशन लाल शर्मा कानि. द्वारा अभी-अभी सागड़ा चौराहा श्री गणपत सिंह जी के वाईन शॉप पर आपके नाम से 7,000 रूपये बंधी/मंथली एवं दो सिग्रेचर शराब की बोतल प्राप्त करने आया और 7,000 रूपयें रिश्वत राशि परिवादी श्री गणपत सिंह से मांग अनुसार ग्रहण की गई एंव शराब की दो बोतल बाद में लेने की बात करते हुए जल्दबाजी में थाने पर आ गया और जब श्री किशन लाल शर्मा कानि. को ब्यूरो टीम द्वारा रंगे हाथो सरकारी आवास/क्वार्टर से दबोचा गया तब पूछताछ में एवं आपसे जरिये वाट्सअप कॉल कराई गई वार्ता में आपने सात प्राप्त करने पर ठीक है कहा है जिसके संबंध में आप क्या कहना चाहते है जिस पर थानाधिकारी श्री हर्षराज सिंह शक्तावत ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि आज दिनांक 01.05.2025 को मन् उप निरीक्षक थाने पर उपस्थित था मैने मेरे निजी उपयोग के लिए ठेके से दारू की बोतल लाने के लिए कॉनि. श्री किशन लाल को भेजा था। उसने मुझे कॉल कर बताया कि बोतल साथ लाया हूं तो मैने उसे कहां कि क्वार्टर पर रख देना। मैं अपने कार्य में व्यस्त था तो मुझे उक्त कानि की आवाज भी स्पष्ट सुनाई

नहीं दे रही थी। मैने दारू की बोतल लाने के अलावा कानि. से और कुछ लाने के लिए नहीं कहा था। जब आज आपके द्वारा मौके पर ट्रेप कार्यवाही करना व उक्त कानि. द्वारा ठेके से नाजायाज राशि लेने की जानकारी हुई है। उक्त कानि. ठेके वाले से रूपयें क्यो लाया इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरी कभी दारू के ठेके वाले से कोई बातचीत नहीं हुई है तथा मैने उनसे किसी प्रकार की कोई राशि की मांग नहीं की है। उक्त कानि. अपने स्तर पर बाला-बाला ही अवैध राशि लाया हो तो इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। इस मामले से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मैं निर्दोष हूं । उक्त थानाधिकारी श्री हर्षराज सिंह शक्तावत द्वारा बताये गये कथनो के संबंध में आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. से पूछा गया तो बताया कि थानाधिकारी झूठ बोल रहे है मुझे इस प्रकरण में अकेले को फसा दिया है जबकि मैंने उक्त राशि इनके कहे अनुसार श्री गणपत सिंह वाईन शॉप ठेकेदार से मांगी और ग्रहण की है और मेरे अन्य कोई जरूरी कार्य हाने से श्री गणपत सिंह जी द्वारा 02 सिग्नेचर शराब की बोतल दे रहे थे जो मैं नहीं लेकर आया हूं तथा मैने जो रिश्वत राशि थानाधिकारी के कहने पर प्राप्त की है। आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. एवं परिवादी श्री गणपत सिंह के मध्य आपस में हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता 25.04.2025 एवं दिनांक 30.04.2025 को हुई मोबाईल वार्ता होना पाये जाने से आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. के मोबाईल नम्बर [redacted] मय सीम आवश्यक होने से उक्त मोबाईल को जरिये फर्द पृथक से जब्त किया जावेगा तथा घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जावेगा। मौके पर ही उपरोक्त कार्यवाही की श्री प्रवीण सिंह कानि0 के मोबाईल से विडीयोग्राफी करवाई गई एवं आरोपी कानि. किशनलाल व श्री हर्षराज सिंह थानाधिकारी लसाड़िया के मोबाईल का वाट्सअप कॉल का स्क्रीन शाट लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि मौके पर ही पृथक से तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री हर्षराज सिंह थानाधिकारी लसाड़िया की संदिग्ध भूमिका के संबंध में उच्चाधिकारीयों को निवेदन किया गया। श्री हर्षराज सिंह द्वारा परिवादी गणपत सिंह से रिश्वत राशि की मांग करने बाबत प्रथम दृष्टया कोई ठोस साक्ष्य नहीं है तथा कानि. किशन लाल द्वारा श्री हर्षराज सिंह से की गई वार्ता में यह कहीं स्पष्ट नहीं है कि क्या लेकर आया है तथा किसमे लेकर आया है। श्री हर्षराज सिंह को इस स्तर पर अनुसंधान हेतु गिरफ्तार किया जाना उचित नहीं होगा। श्री हर्षराज सिंह की कानि. के साथ रिश्वत राशि की मांग करने के षडयंत्र में शामिल होने के बारे में स्थिति अनुसंधान से स्पष्ट होगी। इसके बाद समय 02.15 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि0 के थाना परिसर में स्थित सरकारी क्वार्टर की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक मे मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री दलपत सिंह एसएसआई, श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि, जितेन्द्र कुमार कानि0 की निगरानी में जप्त शुदा समस्त आर्टिकल्स एवं श्री किशन लाल शर्मा को छोड़ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी व स्टाफ के सदस्य श्री ओम प्रकाश, एएसआई, श्री नरेन्द्र कुमार कानि0, सन्दीप कुमार कानि0 को हमराह लेकर लेपटॉप व स्टेशनरी के जरिये सरकारी वाहन घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करने हेतु सागड़ा चौराया के लिये रवाना हुआ। इसके बाद समय 02.30 पी.एम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व हमराहियान के सागड़ा चौराया पर पहुंच परिवादी की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व हमराहियान के सागड़ा चौराया से श्री किशन लाल शर्मा कानि0 के थाना परिसर में स्थित सरकारी क्वार्टर के लिये रवाना हुआ। इसके बाद समय 03.00 पी.एम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व हमराहियान के श्री किशन लाल शर्मा कानि0 के थाना परिसर में स्थित सरकारी क्वार्टर पर पहुंच परिवादी की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका श्री किशन लाल शर्मा कानि0 के थाना परिसर में स्थित सरकारी क्वार्टर का तैयार कर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल सरकारी आवास का पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 03.30 पी.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि0 का एक मोबाईल फोन रेडमी कम्पनी का वरंग ग्रे ब्लेक, आईएमईआई नम्बर सिम स्लाट 1 नम्बर [redacted] एयरटेल मोबाईल नम्बर [redacted] एवं सिम स्लाट 2 नम्बर [redacted], जीओ मोबाईल नम्बर [redacted] की सिम लगी हुई है, उक्त मोबाईल फोन को उक्त कार्यवाही में प्रकरण में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द जप्ती मोबाईल पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद दिनांक 01.05.2025 समय 04.00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी श्री गणपत सिंह की उपस्थिति में, दिनांक 01.05.2025 को डिवीआर समय 10.32 एएम पर परिवादी की आरोपी से मोबाईल वार्ता तथा डिवीआर समय 11.01 एएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह व आरोपी श्री किशनलाल शर्मा कानि0 के मध्य मोबाईल वार्ता तथा सागडा चौराहे पर परिवादी के शराब के ठेके पर दौराने रिश्वत राशि लेन-देन हुई वार्ता, मोबाईल वार्ता दिनांक 01.05.2025 समय 12.12 पीएम पर आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि0 के मोबाईल नम्बर [redacted] एसएचओ श्री हर्षराज सिंह के मोबोईल नंबर [redacted] पर हुई वॉट्सअप कॉल वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिवीआर को लेपटॉप से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 132 से पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 05.15 पी.

एम पर आरोपी श्री किशन लाल शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 23 वर्ष निवासी पारसौली पुलिस थाना बड़ी सादड़ी जिला चित्तौडगढ हाल कानि. नम्बर 130 पुलिस थाना लसाड़िया जिला सलूम्बर द्वारा परिवादी श्री गणपत सिंह से 7,000 रूपयें की रिश्वत राशि लिये जाने का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 के अपराध से आगाह किया जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों व बीएनएसएस के प्रावधानों से अवगत करा कर हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के मित्र श्री मनोज कुमार हैड कानि. 25 पुलिस थाना लसाड़िया को जरिये मोबाईल नम्बर [redacted] पर दी गई। फर्द गिरफतारी हस्बकायदा मुर्तीब कर सम्बधित को पढ़कर सुनाई जाकर सही मान हस्ताक्षर किए। इसके बाद समय 05.20 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी श्री गणपत सिंह की उपस्थिति में दिनांक 30.04.2025 को 05.37 पीएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री किशनलाल शर्मा कानि0 के मोबाईल नम्बर [redacted], समय 07.25 पीएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री किशनलाल शर्मा कानि0 के मोबाईल नम्बर [redacted] तथा समय 07.36 पीएम पर आरोपी श्री किशनलाल शर्मा कानि0 के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री गणपत सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई तीन वाट्सअप कॉल वार्ता जिसकी कानि प्रवीण सिंह के मोबाईल में लगे नये मेमोरी कार्ड में ऑडियो-विडियो रिकार्डिंग की गई रिकार्ड की गई थी उक्त मेमोरी कार्ड को जरिये कनेक्टर लेपटॉप से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 132 से पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 06.20 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 25.04.2025 को समय 12.05 पीएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह व आरोपी श्री किशनलाल शर्मा कानि0 के मध्य सागडा चौराहे पर परिवादी के शराब के ठेके पर हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 30.04.2025 को 05.37 पीएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री किशनलाल शर्मा कानि0 के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई वाट्सअप कॉल वार्ता, समय 07.25 पीएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री किशनलाल शर्मा कानि0 के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई वॉट्सअप कॉल वार्ता तथा समय 07.36 पीएम पर आरोपी श्री किशनलाल शर्मा कानि0 के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री गणपत सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई वार्ता कुल तीन वाट्सअप कॉल वार्ता जिसकी कानि प्रवीण सिंह के मोबाईल में लगे नये मेमोरी कार्ड में ऑडियो-विडियो रिकार्डिंग की गई, दिनांक 01.05.2025 को डिवीआर समय 10.32 एएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह की आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि से वॉट्सअप कॉल वार्ता तथा डिवीआर समय 11.01 एएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह व आरोपी श्री किशनलाल शर्मा कानि0 के मध्य वॉटसअप कॉल वार्ता तथा सागडा चौराहे पर परिवादी के शराब के ठेके पर दौराने रिश्वत राशि लेन-देन हुई दिनांक 01.05.2025 समय 12.12 पीएम पर आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि0 के मोबाईल नम्बर [redacted] थानाधिकारी श्री हर्षराज सिंह के मोबोईल नंबर [redacted] पर हुई वॉट्सअप कॉल वार्ता कुल 07 वार्ता (आरोपी किशन की थानाधिकारी से वार्ता के दौरान मोबाईल तथा डिवीआर दोनो में रिकार्डिंग की गई) कार्यालय के डिवीआर तथा कानि प्रवीण सिंह के मोबाईल को लेपटॉप से कनेक्ट कर उपरोक्त सभी ऑडियो तथा ऑडियो-विडियो को लेपटॉप में एक फोल्डर मे अलग-अलग फोल्डर डिवीआर तथा मोबाईल नाम से बना डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड की रिकार्डिंग को डिवीआर नाम के फोल्डर में तथा मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड की रिकार्डिंग को मोबाईल नाम के फोल्डर में सुरक्षित कर इनको तीन पेन ड्राईव सेनडिस्क कम्पनी के 32 जीबी बरंग लाल काला में कॉपी किया गया एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये जिसको खुला रखा गया तथा एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये तथा एक पेन ड्राईव आरोपी के लिये उक्त दोनो पेन ड्राईव को पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचीट कर कपडे की थेली पर गवाह तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द हाजा पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 06.40 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 01.05.2025 समय 12.28 पीएम तथा 12.32 पीएम पर आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि0 के हाथ धुलाई बरामदगी तथा मौके की कार्यवाही के दौरान बनाये गये दो ऑडियो-विडियो जो श्री प्रवीण सिंह कानि के मोबाईल मे बनाये गये थे मोबाईल को लेपटॉप से कनेक्ट कर दोनो ऑडियो-विडियो को दो पेन ड्राईव सेनडिस्क कम्पनी के 32 जीबी बरंग लाल काला में कॉपी कर एक पेन ड्राईव सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचीट कर कपडे की थेली पर गवाह तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेन ड्राईव आईओ के लिये रखा गया। फर्द हाजा पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 06.50 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 25.04.2025 को समय 12.05 पीएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह व आरोपी श्री किशनलाल शर्मा कानि0 के मध्य सागडा चौराहे पर परिवादी के शराब के ठेके पर हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 01.05.2025 समय 10.32 एएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह की आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि से वॉट्सअप कॉल वार्ता तथा 11.01 एएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह व आरोपी श्री किशनलाल शर्मा कानि0 के मध्य वॉटसअप कॉल वार्ता के बाद सागडा चौराहे पर परिवादी के शराब के ठेके पर दौराने रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता दिनांक 01.05.2025 समय 12.12 पीएम पर आरोपी श्री किशन लाल

शर्मा कानि0 के मोबाईल नम्बर [redacted]से थानाधिकारी श्री हर्षराज सिंह के मोबोईल नंबर [redacted]पर हुई वॉट्सअप कॉल वार्ता कुल 04 वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी उक्त मुल मैमोरी कार्ड केडिएम 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड बरंग काला को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचीट कर मार्क "M" अंकित कर कपडे की थेली पर गवाह, परिवादी एवं संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द हाजा पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 07.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान गवाहन तथा परिवादी की उपस्थिति में दिनांक 30.04.2025 को 05.37 पीएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री किशनलाल शर्मा कानि0 के मोबाईल नम्बर[redacted] पर हुई वाट्सअप कॉल वार्ता, समय 07.25 पीएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted]से आरोपी श्री किशनलाल शर्मा कानि0 के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई वॉट्सअप कॉल वार्ता तथा समय 07.36 पीएम पर आरोपी श्री किशनलाल शर्मा कानि0 के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री गणपत सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted]पर हुई वार्ता कुल तीन वाट्सअप कॉल वार्ता जिसकी कानि प्रवीण सिंह के मोबाईल में लगे नये मेमोरी कार्ड में ऑडियो-विडियो रिकार्डिंग की गई, दिनांक 01.05.2025 समय 12.12 पीएम पर आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि0 के मोबाईल नम्बर[redacted] थानाधिकारी श्री हर्षराज सिंह के मोबोईल नंबर [redacted] पर हुई वॉट्सअप कॉल वार्ता दिनांक 01.05.2025 समय 12.28 पीएम तथा 12.32 पीएम पर आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि0 के हाथ धुलाई बरामदगी तथा मौके की कार्यवाही के दौरान बनाये गये दो ऑडियो-विडियो जो श्री प्रवीण सिंह कानि के मोबाईल लगे मेमोरी कार्ड केडिएम 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड बरंग काला मे रिकार्ड किये गये थे। उक्त मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर एक सफेद कपडे की थैली में सुरक्षित रख कर सिलचिट कर मार्क "M-1" अंकित कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द हाजा पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 07.15 पी.एम पर कार्यवाही पूर्ण कर पुलिस थाना लसाड़िया जिला सलुम्बर के रोजनामचा आम में कार्यवाही से संबंधित रपट अंकित करवाई गई तथा आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि0 की आज दिनांक 01.05.2025 की पुलिस थाने में उपस्थिति के संबंध में नकल रपट रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को लसाड़िया में ही रूखसत देकर मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि0 मय जाप्ते तथा जप्त शुदा समस्त आर्टिकल्स सिलचिट शुदा रिश्वत राशि, धोवण की शिशियां, पेन्ट का पैकेट इत्यादि को साथ लेकर जरिये सरकारी वाहनों से पुलिस थाना लसाड़िया से एसीबी चित्तोड़गढ़ के लिये रवाना हुआ। इसके बाद समय 09.30 पी.एम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के एसीबी कार्यालय चित्तोड़गढ़ पहुंचा दोनों स्वतंत्र गवाहान को रूखसत दी गई। जप्त शुदा समस्त आर्टिकल्स सिलचिट शुदा रिश्वत राशि, धोवण की शिशियां, पेन्ट का पैकेट इत्यादि को मालखाने में जमा करने हेतु मालखाना ईन्चार्ज श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को सुपुर्द कर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि0 को जाप्ते की निगरानी में बिठाया गया। इसके बाद समय 11.30 पीएम पर आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. नम्बर 130 पुलिस थाना लसाड़िया जिला सलूम्बर को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली चित्तोड़गढ़ की हवालात में जमा कराने हेतु तहरीर दी जाकर श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 व श्री प्रवीण कानि0 के हमराह रवाना किया गया। इसके बाद समय 11.40 पीएम पर उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 व श्री प्रवीण कानि0 आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. नम्बर 130 पुलिस थाना लसाड़िया जिला सलूम्बर को पुलिस थाना कोतवाली चित्तोड़गढ़ की हवालात में जमा करा कर हाजिर कार्यालय आये। इसके बाद दिनांक 02.05.2025 समय 10.45 एएम पर श्री किशन लाल शर्मा कानि. नम्बर 130 पुलिस थाना लसाड़िया जिला सलूम्बर को पुलिस थाना कोतवाली चित्तोड़गढ़ से लेकर उसका मेडिकल कराने हेतु तहरीर देकर श्री ओम प्रकाश, एएसआई व श्री प्रवीण कानि0 को रवाना किया गया। इसके बाद समय 10.45 एएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा श्री ओम प्रकाश, एएसआई व श्री प्रवीण कानि0 आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. नम्बर 130 पुलिस थाना लसाड़िया जिला सलूम्बर को पुलिस थाना कोतवाली चित्तोड़गढ़ से लेकर उसका मेडिकल करा हाजिर कार्यालय आये। आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. नम्बर 130 पुलिस थाना लसाड़िया जिला सलूम्बर को जाप्ते की निगरानी में बिठाया गया। इसके बाद समय 02.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0, श्री प्रवीण सिंह कानि0 के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. नम्बर 130 पुलिस थाना लसाड़िया जिला सलूम्बर को वास्ते जे.सी. रिमाण्ड पेश करने मय केस डायरी के माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयुपर क्रम संख्यां 01 के लिये रवाना किया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अब तक की गई कार्यवाही से आरोपी श्री किशन लाल शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 23 वर्ष निवासी पारसौली पुलिस थाना बड़ी सादड़ी जिला चित्तौडगढ हाल कानि. नम्बर 130 पुलिस थाना लसाड़िया जिला सलूम्बर द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री गणपत सिंह से उसके पार्टनर श्री देवेन्द्र चौधरी के सागड़ा चौराहा पर स्थित शराब के ठेके से थानाधिकारी के नाम से

मंथली के रूप में अपनी मांग अनुसार 7,000 रूपयें रिश्वत राशि ग्रहण करना पाया गया है। रिश्वत राशि दौराने कार्यवाही आरोपी श्री किशन लाल शर्मा कानि. की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से 7,000 रूपयें बरामद हुये। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री किशन लाल शर्मा हाल कानि. नम्बर 130 पुलिस थाना लसाड़िया जिला सलूम्बर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ .... कार्यवाही पुलिस.................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री किशन लाल शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 23 वर्ष निवासी पारसौली पुलिस थाना बड़ी सादड़ी जिला चित्तौडगढ हाल कानि. नम्बर 130 पुलिस थाना लसाड़िया जिला सलूम्बर के विरुद्ध पंजीवद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री हिम्मत सिंह चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 45 पर अंकित है (डॉ.प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 636-39 दिनांक 03.05.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम संख्या-1,उदयपुर, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, उदयपुर, 3. पुलिस अधीक्षक, सलूम्बर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो चित्तौडगढ़। पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** HIMMAT CHARAN **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 03/05/2025 17:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/10/2001				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)